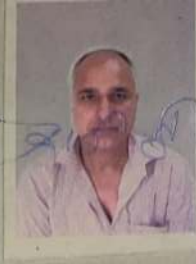


1677/08



विक्रय पत्र हेतु वांछित विवरण

1. मालियत विक्रयपत्र : रु. 3,34,000.00
2. बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया गया : रु. 3,34,000.00
3. स्टाम्प शुल्क : रु. 26,800.00
4. आवास विकास शुल्क : सम्मिलित है
5. कुल स्टाम्प शुल्क देय : रु. 26,800.00
6. मुख्य क्षेत्र : मौजा कारगी ग्रान्ट, देहरादून।
7. सम्पत्ति : भूमिधरी भूमि खाता खतौनी संख्या 176/खसरा संख्या 255 रकबा 167 वर्गमीटर स्थित मौजा कारगी ग्रान्ट, परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून
8. सम्पत्ति का प्रकार : आवासीय भूमि
9. मुख्य मार्ग से दूरी : विक्रीत भूमि मुख्य हरिद्वार बाईपास रोड से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
10. सर्किल रेट : रु. 2000/- प्रति वर्गमीटर
11. विक्रेता का नाम व पता : श्री रोशन लाल पुत्र स्व० श्री उमादत्त निवासी ग्राम कारगी ग्रान्ट, परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून
12. क्रेता का नाम व पता : श्रीमती मंजू कंसल पत्नी श्री राम कुमार कंसल निवासी मौहल्ला शाहवाड़ा, बुढाना, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
13. स्टाम्प पृष्ठों की संख्या : 08 पृष्ठ
14. रचयिता : श्री अजय वर्मा, एडवोकेट, देहरादून

श्री अजय वर्मा

4-67



उत्तरांचल UTTARANCHAL

470912

विक्रय पत्र

श्री रोशन लाल पुत्र स्व० श्री उमादत्त निवासी ग्राम कारगी ग्रान्ट,
परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून (कि जिन्हें आगे इस विक्रय विलेख में
"विक्रेता" कहकर सम्बोधित किया गया है)

.....विक्रेता

एवं

श्रीमती मंजू कंसल पत्नी श्री राम कुमार कंसल निवासी मौहल्ला
शाहवाड़ा, बुढाना, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश (कि जिसे आगे इस
विक्रय विलेख में "क्रेता" कहकर सम्बोधित किया गया है)

.....क्रेता

(2)

प्र-पु



उत्तरांचल UTTARANCHAL

540027

मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार, देहरादून

15 APR 2009

विवरण किया
कोड सं. 001

यह कि विक्रेता इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि का एकमात्र पूर्ण स्वामी, भूमिधर मालिक काबिज है, जिसका कि पूर्ण विवरण इस विक्रय पत्र के अन्त में सूची सम्पत्ति में दिया गया है। विक्रेता ने सूची में वर्णित भूमि व अन्य भूमि बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26-03-2004 के द्वारा श्री दुलीचन्द पुत्र स्व० श्री प्रभु लाल से क्रय की थी, जो कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून में बही संख्या 1, जिल्द 1337 के पृष्ठ 175, ए०डी० फाईल बुक संख्या 1, जिल्द 1369 के पृष्ठ 837 से 848 में नं० 2176 पर दिनांक 27-03-2004 को विधिवत रूप से दर्ज व अंकित है। विक्रेता का नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज व अंकित है। इस प्रकार विक्रेता को सूची में वर्णित भूमि को विक्रीत करने, हस्तान्तरण करने, अन्तरण करने आदि आदि के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

यह कि इस विक्रय विलेख के अन्त में दी गई सूची में वर्णित भूमि हर प्रकार के भार, अधिभार, बन्धन, बन्धक, ऋण, आज्ञाप्ति, कुर्की, वाद-विवाद, कर्जा सरकारी, गैर सरकारी आदि से पूर्णतः मुक्त है तथा विक्रेता को विक्रीत भूमि को हर प्रकार से प्रयोग उपयोग, उपभोग, विक्रीत, अन्तरित एवं हस्तांतरित आदि करने का अधिकार प्राप्त है। सूची में वर्णित भूमि विक्रय किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

यह कि विक्रेता इस विक्रय विलेख की सूची में वर्णित भूमि क्रेता को मु० 3,34,000/- (तीन लाख चौतीस हजार रुपये मात्र) की एवज में विक्रय करने को सहमत है तथा क्रेता भी इसी कीमत में सूची में वर्णित भूमि क्रय करने को सहमत है, इस कारण यह विक्रय विलेख अंकित किया जा रहा है।

(3)

[Handwritten signature]

म-पु

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

491657

उत्तरांचल UTTARANCHAL

देहरादून (सदरमहल)
xx-2007-2008

अतः यह विक्रय विलेख निम्न साक्ष्यांकित करता है:-

1. यह कि विक्रेता ने इस विक्रय विलेख की सूची में वर्णित भूमि तथा उसमें निहित अपने समस्त अधिकार, सुखाधिकार जिनमें हवा, पानो, रास्ता, नाली आदि के अधिकार सम्मिलित है तथा वह अधिकार जो विक्रेता को वर्तमान में प्राप्त है तथा वह अधिकार जो विक्रेता को भविष्य में प्राप्त हो सकते हैं, सहित स्थायी रूप से सदैव हेतु क्रेता को मुबलिंग 3,34,000/- (तीन लाख चौतीस हजार रुपये मात्र) की एवज में विक्रीत, अन्तरित, हस्तांतरित कर दी है तथा सूची में वर्णित भूमि से अपना कब्जा हटाकर व उठाकर क्रेता को अपने समतुल्य सूची में वर्णित भूमि पर बतौर मालिक, स्वामी, काबिज व अध्यासित करा दिया है।
2. यह कि क्रेता ने उपरोक्त वर्णित इकरार के अन्तर्गत विक्रेता को विक्रय प्रतिफल राशि रुपये 3,34,000/- (तीन लाख चौतीस हजार रुपये मात्र) नगद अदा कर दी है, जिसकी प्राप्ति की पुष्टि विक्रेता उप निबन्धक, देहरादून के समक्ष करता है।
3. यह कि आज से विक्रेता का सूची में वर्णित भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं रह गया है। आज से क्रेता सूची में वर्णित भूमि की एकमात्र मालिक, स्वामी, काबिज, अध्यासी हो गयी है। क्रेता को अधिकार होगा कि वह सूची में वर्णित भूमि का जिस प्रकार चाहे प्रयोग करे, उपयोग करे, उपभोग करे, जल संयोग, विद्युत् संयोग, सीवर संयोग, दूरभाष संयोग प्राप्त करे, मानचित्र स्वीकृत कराये, भवन निर्माण करे, अन्य किसी व्यक्ति को विक्रीत, अन्तरित, हस्तांतरित करे, इसमें विक्रेता किसी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकारी नहीं होगा।

(4)

— [Signature] —



उत्तरांचल UTTARANCHAL

197171



4. यह कि सूची में वर्णित भूमि के बाबत आज तक जो भी देय आदि वाजिब होंगे उनको अदा करने की पूर्ण जिम्मेदारी विक्रेता की होगी। आज के पश्चात अदा करने की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
5. यह कि क्रेता को अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित अभिलेखों से विक्रेता का नाम खारिज करवाकर अपना नाम बतौर मालिक, स्वामी, दर्ज व अंकित करावे। नामांकन कार्यवाही में विक्रेता, क्रेता को पूर्ण सहयोग देगा।
6. यह कि यदि भविष्य में क्रेता को विक्रेता से सूची में वर्णित भूमि की बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज अंकित कराने अथवा बयान दिलाने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी कार्यवाही विक्रेता, क्रेता के व्यय व अनुरोध पर करने के लिये बाध्य होगा।
7. यह कि भविष्य में यदि विक्रीत की जा रही भूमि या उसका कोई भाग विक्रेता के किसी दोष के कारण क्रेता के स्वामित्व व अध्यासन से निकल जाता है तो उस दशा में होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति क्रेता, विक्रेता से अथवा उसकी चल-अचल सम्पत्ति से प्राप्त करने की अधिकारी होगी।
8. यह कि इस विक्रय विलेख में शब्द विक्रेता व क्रेता में उनके वारिसान, उत्तराधिकारी, हित प्रतिनिधि आदि आदि समान रूप से सम्मिलित समझे जायेंगे।

वांछित विवरण

- (1) विक्रेता एवं क्रेता के मध्य पूर्व में कोई विक्रय अनुबन्ध पत्र अंकित नहीं है।
- (2) विक्रेता एवं क्रेता अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से नहीं है।

(5)

म. ज.



उत्तरांचल UTTARANCHAL

C 469291

1 APR 2008

निर्गत किया
कोड सं. 001

सूची सम्पत्ति

म-पू *राजीव*

भूमिधरी भूमि खाता खतौनी संख्या 176/531 खसरा संख्या 255 रकबा 167 वर्गमीटर स्थित मौजा कारगी ग्रान्ट, परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून, जिसे संलग्न मानचित्र में पूर्ण रूप से दर्शाया गया है तथा जिसकी सीमाये व नाप निम्न प्रकार है:-

पूरब	:	भूमि श्रीमती मंजू कंसल
पश्चिम	:	नाला
उत्तर	:	14 फिट चौड़ा रास्ता
दक्षिण	:	सम्पत्ति अन्य

यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि विक्रेता ने अपने उपरोक्त खाते की सम्पूर्ण भूमि विक्रय कर दी है तथा अब विक्रेता के हिस्से में उपरोक्त खातों में कोई भाग भूमि शेष नहीं बची है।

अतः यह विक्रय विलेख विक्रेता ने आज दिनांक 16-04-2008 को अपने पूर्ण होशोहवास बिना किसी के बहकावे में आये व स्वस्थ दशा में स्थान देहरादून में साक्षीगण के समक्ष अंकित व निष्पादित किया ताकि समयानुसार काम आवे व सनद रहे।

राजीव

हस्ताक्षर विक्रेता

म-पू

हस्ताक्षर क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

C 469292

राष्ट्र

R 2008

गति किया
सेड सं. 001

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंटस
विक्रेता का नाम एवं पता:- श्री रोशन लाल पुत्र स्व० श्री उमादत्त निवासी
ग्राम कारगी ग्रान्त, परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून
बाये हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह
अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका



दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह
अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका



श्री रोशन लाल

विक्रेता के हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

C 469293

उत्तरांचल UTTARANCHAL

देहरादून

10 APR 2008

निर्गत किया
कोड सं. १०००

क्रेता का नाम एवं पता:- श्रीमती मंजू कंसल पत्नी श्री राम कुमार कंसल
निवासी मौहल्ला शाहवाड़ा, बुढाना, जिला मुज्जफरनगर, उत्तर प्रदेश
बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह
अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका



दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह
अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका



म-५
क्रेता के हस्ताक्षर

गवाह:- श्री ल. कंसल
1. श्री ल. कंसल 2. श्री ल. कंसल
चक्रवर्ती
5. 21.4
९६६५५

अजय वर्मा
AJAY VERMA
ADVOCATE

AJAY VERMA
ADVOCATE

रचियता श्री अजय वर्मा, एडवोकेट, देहरादून
फोटो सत्यापितकर्ता पक्षकार स्वयं। (9)

म-५



उत्तरांचल UTTARANCHAL
 - 2 APR 2008
 निजीत किया
 कंड सं. 001

A 613913

- (3) विक्रीत सम्पत्ति सीलिंग के प्रावधानों से मुक्त है तथा विक्रीत भूमि की बाबत कोई सीलिंग विवाद लम्बित नहीं है।
- (4) विक्रीत भूमि में कोई पेड़, निर्माण आदि नहीं है।
- (5) विक्रीत भूमि मुख्य हरिद्वार बाईपास रोड़ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
- (6) विक्रीत भूमि नगर निगम देहरादून की सीमा के अन्दर स्थित है।
- (7) विक्रीत भूमि औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नहीं है।
- (8) यह कि विक्रीत की जा रही भूमि का मूल्य क्लेक्टर देहरादून द्वारा निर्धारित सर्किल रेट मु० रुपये 2000/- प्रति वर्गमीटर की दर से मु० रु० 3,34,000/- आती है। परन्तु उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या /XXVII (9) स्टाम्प 2006 दिनांक 18-08-2006 के अनुसार स्त्री को स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट अनुमन्य की गयी है जिसके अनुसार 25 प्रतिशत की छूट के उपरान्त कुल मु० 26,800/- रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।
- (9) यह कि सूची में वर्णित भूमि नगर निगम देहरादून की सीमा के अन्दर मौजा कारगी ग्रान्ट, देहरादून में स्थित है, जिस पर अधिनियम संख्या 29 वर्ष 2003 के प्राविधान लागू नहीं होते हैं।

मानचित्र भूमिधरी भूमि खाता खतौनी संख्या 176 खसरा संख्या 255 रकबा 167
वर्गमीटर स्थित मौजा कारगी ग्रान्ट, परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून

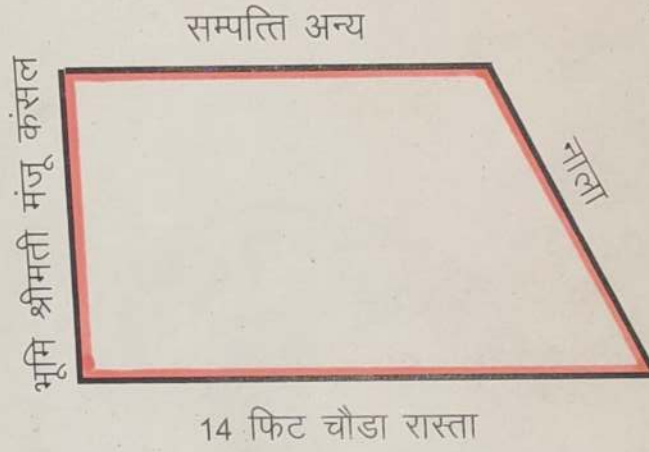
विक्रेता - श्री रोशन लाल
क्रेता - श्रीमती मंजू कंसल

NOT TO SCALE

विक्रीत भाग को लाल रंग की रेखाओं से घिरा दर्शाया गया है।



N



ह0 विक्रेता

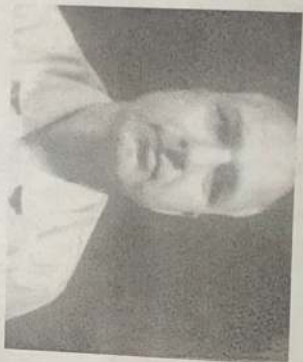
ह0 क्रेता

342/13

15 APR 2008

100

नाम नं.
दिनांक
पृष्ठ नं.



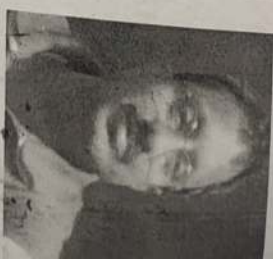
विक्रेता



ब्रेता



गवाह



बही नं. 1 जिल्द 2207 पृष्ठ 123 से 142
में नं. 1677 पर आज दिनांक 21/04/2008 में रजिस्ट्री की गई ।

उप निबन्धक- *hathal* सर 2 कराए



MEERUT